IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, February 2023
Impact Factor: 7.301

आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति एवं भूमिका'

Dr. K.S. Netam[1] and Vinod Kumar Verma[2]
Professor and Head, Department of Geography[1]
Research Scholar, Department of Geography[2]
Sanjay Gandhi Smriti Government (Autonomous) P.G. College, Sidhi, M.P. India

प्रस्तावना:

भारत देश में आदिवासी समाज की महिलाओं की स्थिति आजादी के 75 साल पूर्ण हो जाने के दौरान भी आज के वर्तमान समय में बहुत दयनीय स्थिति है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और सामाजिक मान्यताओं के प्रति परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन इस विशाल और अनगिनत विविधता वाले देश में इस परिवर्तन का अंश नगण्य है। संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत भारतीय आदिवासी महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार दिये हैं, अत्याचारों से दबी उनकी दयनीय जीवन स्थिति को रुपान्तरित करने और सामाजिक आर्थिक तथा विधिक पहचान बनाने के लिये कल्याणकारी मान्यताएँ दी है फिर भी उनकी विकास की स्थिति चिंतनीय है। समय के साथ–साथ प्रत्येक समाज में परिवर्तन हुये लेकिन आदिवासी समाज के महिलाओं में दिन–प्रतिदिन गिरावट हो रही है। उनमें गरीबी, अंधविश्वास, अशिक्षा, यौन उत्पीडन, ऋणी, पारिवारिक, सामाजिक बुराई, वेश्यापन की स्थिति आज भी मौजूद है। इसका मुख्य बिन्दु अन्धविश्वास, टोटेम, निर्धनता है। किसी भी समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका मुख्य होती है। महिलायें इस संसार की रक्षक होती हैं। आदिवासी समाज की महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता और न ही इस समाज में दहेज प्रथा प्रचलन है। इस समाज में डादून प्रथा प्रचलित है बल्कि सवर्ण समाज में नहीं है। स्त्री को चरित्रहीन वही व्यक्ति घोषित करता है वह एक पुरुष होता है जो वैद्य होता है। यह एक घोर विडम्बना है। इस समाज में डायन प्रथा का उद्भव 'टोटेम' जादू टोना में होता है। आदिवासी समाज में पुरुष और स्त्री की असमानता का असली सच्चाई यही है। आदिवासी महिलायें प्रकृति पूजक होती हैं। पुरुष व्यक्ति खेत में हल चलाता है जिसमें महिलायें भाग नहीं ले सकती हैं बल्कि घर के सभी कार्यों में आदिवासी महिलायें महत्वपूर्ण भामिका निभाती हैं। अधिकतर आदिवासी महिलायें ट्रोलिंग का शिकार होती हैं। केन्द्र व राज्य सरकारें उनके विकास के लिये योजनायें चला रही है लेकिन अभी भी यह समाज में परिवर्तन नहीं हुआ है। पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में स्त्रियाँ निर्णय के अधिकार में वंचित नहीं रही हैं। पारिवारिक स्तर पर देखें तो परिवार से संबंधित सम्पत्ति क्रय करने, बच्चों की शिक्षा, मकान की मरम्मत अथवा जमीन खरीदने या बेचने संबंधी निर्णयों में स्त्री अपनी राय व्यक्त करने लगी है। जनजातीय महिलाओं में तार्किकता इस रुप में दिखाई देने लगी है कि वे स्वयं नगर के बाजार से विभिन्न वस्तुओं में से दाम और गुणवत्ता परखकर आवश्यक वस्तु क्रय करने लगी है।

जनजातीय क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं जैसे– आंगनबाड़ी, ग्रामीण बैंक, सरकारी समिति, स्कूल, किसान सेवा केन्द्र, पंचायत की उपलब्धता और इनमें कार्यरत कर्मचारियों से अंतः क्रिया ने जनजातीय पुरुषों को प्रभावित किया और इन संस्थाओं के प्रभाव से महिलायें भी अछूती नहीं रही हैं। ग्रामीण प्रभाव के विभिन्न पहलू हैं जिनमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, तालाब, रोड निर्माण, आशा कार्यकर्ता, महिला बाल विकास में आदिवासी समुदाय के महिलायें जो 8 से 12 कक्षा तक की पढ़ाई की हैं वह काम में लगी हुई हैं। वर्तमान समय में शिक्षा का जागरुकता भारत के लगभग सभी भागों में पहुँच गई है जहाँ उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का पर्याप्त अवसर मिल जाता है। आदिवासी खान–पान, रहन–सहन पर प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा है। बैंक के बारे में जानकारी होना, राशन कार्ड से राशन प्राप्त करना ये सभी जानकारी आदिवासी महिलाओं जागृत होने लगा है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या 104 मिलियन है। जो देश की 8.6% आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। 1951 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 5.6% आदिवासी थे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 104281034 है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। अनुसूचित जनजातियों के कुल 9,38,19162 लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। जबकि शहरी क्षेत्रों में 10461872 लोग निवास करते हैं। अनुसूचित जनजाति ग्रामीण क्षेत्रों की कुल जनसंख्या का 11.3% और शहरी क्षेत्रों का 2.8% है। भारत में लगभग 550 जनजातियाँ हैं। 2001 और 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.64% थी। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जनजातियों की दशकीय वृद्धि दर 23.7% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की दशकीय वृद्धि दी कम 21. 3% थी जबकि शकरी क्षेत्रों में यह अधिक 49.7% थी। आदिवासी व्यक्तिओं में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 972 है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, February 2023
Impact Factor: 7.301

भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 2011

क्र.	राज्य/केन्द्र शासित	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1	जम्मू & कश्मीर	1493299	776257	717072
2	हिमांचल प्रदेश	392126	196118	196008
3	पंजाब	0	0	0
4	चण्डीगढ़	0	0	0
5	उत्तराखण्ड	291903	148669	143234
6	हरियाणा	0	0	0
7	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली	0	0	0
8	राजस्थान	9238534	4742943	4495591
9	उत्तरप्रदेश	1134273	581083	553190
10	बिहार	1336573	682516	654057
11	सिक्किम	206360	105261	101099
12	अरुणाचल प्रदेश	951821	468390	483431
13	नागालैण्ड	1710973	866027	844946
14	मणिपुर	1167422	588279	579143
15	मिजोरम	1036115	516294	519821
16	त्रिपुरा	1166813	588327	578486
17	मेघालय	2555861	1269728	1286133
18	असम	3884371	1957005	1927366
19	पश्चिम बंगाल	5296953	2649974	2646979
20	झारखण्ड	8645042	4315407	4329635
21	उडीसा	9590756	4727732	4863024
22	छत्तीसगढ़	7822902	3873191	3949711
23	मध्यप्रदेश	15316784	7719404	7597380
24	गुजरात	8917174	4501389	4415785
25	दमन और दीव	15363	7771	7592
26	दादरा और नागर हवेली	178564	88844	89720
27	महाराष्ट्र	10510213	5315025	5195188
28	आन्ध्रप्रदेश	5918073	2969362	2948711
29	कर्नाटक	4248987	2134754	2114233
30	गोवा	149275	72948	76327
31	लक्ष्यद्वीप	61120	30515	30605
32	केरल	484839	238203	246636
33	तमिलनाडु	794697	401068	393629
34	पांडिचेरी	0	0	0
35	अण्डमान निकोबार दीप समूह	28530	14731	13799
भारत कुल		**104545716**	**52547215**	**51998501**

स्त्रोतः– भारत की जनगणना 2011

Keyword- शब्द संकेतः–
(1) निर्धनता का स्तर
(2) विस्थापन
(3) बंधुआ मजदूरी का समस्या

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, February 2023
Impact Factor: 7.301

(4) ऋण ग्रस्तता
(5) स्वास्थ्य समस्या
(6) बाल विवाह
(7) अशिक्षा
(8) पर्दा शिक्षा एवं सती
(9) रुढ़िवादिता
(10) टोटेम
(11) विधवा प्रवृति
(12) आर्थिक असमानतायें
(13) वेश्यावृति यौन रोगों का पनपना
(14) अस्पृश्यता (छुआछूत)

(1) निर्धनता का स्तरः

आदिवासी समाज में निर्धनता एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अधिकतर आदिवासी लोगों के पास जमीन की कमी होती है, जिससे वह अपनी आजीविका का साधन जंटा पाने में असमर्थ होने को मजबूर हो जाते हैं। उपके पास रोटी, कपड़ा, मकान की कमी महसूस तब होती है जब उनके परिवार में जनसंख्या अधिक होने लगता है। इस स्थिति में वे इस गरीबी के चपेट में आ जाते हैं। भारत में पाई जाने वाली अधिकतर घूमन्तू जनजाति में इस तरह का स्थिति पाया जाता है। जैसे बंजारा, बादी, विरहोर आदि जनताति।

गोगार्ड के अनुसारः

'निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति स्वयं अपनी व अपने आश्रितों की समाज ढंग से पूर्ति नहीं कर पाता।''

जी. के अग्रवाल के अनुसारः

'' निर्धनता का तात्पर्य एक ऐसे अभावग्रस्त जीवन से है जो समाज के सामाजिक, आर्थिक कुसमायोजन से उत्पन्न होता है तथा जिसके परिणामस्वरुप व्यक्ति अपनी तथा अपने आश्रितों की अनिवार्य जरुरतों को पूरा करने में असमर्थ रहता है।''

असमान विकास दर, पूँजी की कमी, कुशल मानवीय संसाधन का आभाव, मुद्रा का असंतुलन, मुद्रा स्फीति, कृषि का लाभ कम प्राप्त होना, जनांकिकी कारकों में स्वास्थ्य, परिवार का आकार, वृद्ध व्यक्तियों का निर्भरता, संक्रामक रोग, लिंग भेद, जातिवाद, धर्मवाद, पुरानी रुढ़ियाँ, अशिक्षा एवं अज्ञानता, शोषण का शिकार होना, बेरोजगारी आदि ये ऐसे विशेषतायें हैं जो आदिवासी समाज को पिछड़ा होने का प्रमाण करती हैं। निः संदेह दीर्घकालीन व्यापक गरीबी भारत के औपनिवेशिक इतिहास में शुरु से ही चली आ रही है। अपनी आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिये आदिवासी व्यक्ति बहुत प्रयास करता है और सरकारें भी पंचवर्षीय योजनाओं के साथ इनकी विकास में उभर रही हैं। जनजातीय लोगों में अफीम, दारु, गाँजा, नशीली वस्तुओं की लत भी एक गंभीर समस्या है। अरुणांचल प्रदेश की सिंहफों जनजाति इसका ज्वलंत उदाहरण है। लगभग 150 वर्ष पूर्व इन लोगों की संख्या 40 हजार थी जो अब 1 हजार रह गई है। गरीबी रेखा के मापदण्ड में प्रति व्यक्ति कैलोरी (शहरी 2100) एवं (ग्रामीण 2400) होनी चाहिये और जो व्यक्ति इसे भी प्राप्त नहीं कर पाता वह गरीबी और निर्धनता का स्तर से गुजरता है।

(2) विस्थापन की समस्याः

देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की दृष्टि को देखते हुये भारत देश में विकास की योजनाओं को लागू करने से विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है। विस्थापन तब लागू होता है जब किसी निश्चित स्थान को लक्षित कर योजनायें संचालित किये जाते हैं। जैसे– खनन कार्य, बांध निर्माण, रोड निर्माण, रेलवे लाइन निर्माण, उद्योगों की स्थापना करने, नहर बनाने से इत्यादि। पेशा अधिनियम के तहत 1996 में आयोजित एक कानून है जो अनुसूचित जनजातियों (224 खण्ड A)में वर्णित है। वर्तमान में यह अधिनियम 10 राज्यों में फैली है। मध्यप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तंलंगाना, हिमांचल प्रदेश, झारखण्ड, महाराष्ट्र, ओडिसा और राजस्थान।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, February 2023
Impact Factor: 7.301

पेशा एक्ट के उद्देश्य

1. जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना।
2. पारंपरिक परिपाटियों से सुसंगतता रखते हुये उपयुक्त प्रशासनिक ढ़ांचा विकसित करना।
3. जनजातीय समुदायों की परंपराओं और रिवाजों का संरक्षण और सुरक्षा।
4. जनजातियों लोगों की जरुरत के मुताबिक पंचायतों को विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करना।
5. उच्च स्तर की पंचायतों को निचले स्तर की ग्राम सभा की शक्तियों को छीनने से रोकना।
6. प्रतिनिधि मण्डल के बजाय सीधे ग्राम सभा और पंचायतों को शक्ति और अधिकार सौपना, सीटों का आरक्षण।
7. अनुसूचित क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिये भूमि अधिग्रहण और इनसे प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये ग्राम सभा तथा उपयुक्त स्तर की पंचायत से सलाह लेना।
8. खनिज पट्टा, लाइसेन्स लेने के लिये ग्राम सभी का निर्णय सर्वमान्य।
9. भूमि के हस्तांतरण रोकने, अवैध रुप से अलग की गई भूमि को बहाल, लघु वनोपज का स्वामित्व एवं नशीले पदार्थों को रोकने का अधिकार ग्राम सभा का होता है।

(3) बंधुआ मजदूरी की समस्याः

आदिवासी समाज की महिलाओं को अधिकतर बंधुआ मजदूर की श्रेणी में रखे जाते हैं। यह पद्धति साहूकार और गराब लोगों के बीच होता है। इस प्रक्रिया में साहूकार पहले ऋण देता है और फिर बाद में उसे गुलाम बनाकर अपनी स्वेच्छा के अनुसार कार्य कराता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी आदिवासी व्यक्तियों में होता है। खासकर जो परिवार अधिक गरीब होते हैं। उनकी स्थिति ऐसा ही होता है। बन्धुआ मजदूरी दर में साहूकार अपने मनमाना ढंग से मजदूरी भी देते हैं। उनको पैरा इतना दिया जाता है जिसे खाकर वह मजदूर जीसके और हमारा काम लाइफ टाइम तक करता रहे। छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार में ऐसे बन्धुआ मजदूर देखे जाते हैं।

(4) ऋण ग्रस्तताः

ऋण ग्रस्तता का आशय है ऋण से ग्रस्त व्यक्ति के लिये ऋण चुकाने की बाध्यता का होना। ग्रामीण भारत में निर्धन आदिवासी किसानों एवं मजदूरों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के कारण लिया जाने वाला कर्ज जब बढ़ जाता है तब वे अपनी कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। यह समस्या कमजोर वित्तीय संरचना का सूचक है। किसानों भूमिहीन एवं कृषक मजदूरों तक पहुँचने में दुर्बल है। महाजन और सूदखोरों का शिकार अधिकतर आदिवासी समाज के व्यक्तियों पर पड़ता है। यह स्थिति उस समय पड़ता है जब आदिवासी परिवार बीमारी में जूझता है। लड़के–लड़की का विवाह करने के लिये सूदखोरों से पैसे कर्ज के रुप में ले लेते हैं। इसकी भरपाई करने के लिये सूदखोर गरीब व्यक्तियों को प्रताडित करता है, उसे कम दर पर मजदूरी कराना, किसानी काम कराना और उससे काम कराने के बाद केवल जीवन जीने के लिये उसे दे देना बाकी सूदखोर के द्वारा रख लेना। इस व्यवस्था में आदिवासी व्यक्ति अपने परिवार को कर्ज चुकाने के लिये महिलाओं बच्चों को भेजता है। इस तरह आदिवासी महिलायें इसका शिकार होती हैं।

(5) स्वास्थ्य समस्याः

बीमारी एक गंभीर समस्या है आजकल के आधुनिक समय में ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्र में आदिवासी लोग नशे, यौन कैंसर तथा मलेरिया का शिकार हो जाते हैं। उन लोगों तक अस्पताल तक पहुंचने के लिये पैसे एवं परामर्श की कमी होती है। शहरी क्षेत्रों में सभी प्रकार के सुविधायें उपलब्ध होती हैं। जिन क्षेत्रों में औद्योगीकरण की स्थापना पर्याप्त मात्रा में है वहाँ पर ट्रैफिक समस्या, शुद्ध ऑक्सीजन की कमी समस्या होती है। स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित सबसे प्रमुख चुनौती है। आबादी के अनुपात में अस्पतालों और डॉक्टरों की कमी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी स्वास्थ्य सेवायें सबसे बदतर हालात में हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक नहीं खुल पाये हैं और अगर खुल भी गये तो वहाँ पर कोई चिकित्सक जाना नहीं चाहता है।

भारत में आर्थिक असमानता के कारण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में काफी विषमता है। निजी अस्पतालों की वजह से सम्पन्न लोगों को तो गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो जाती है किन्तु गरीब एवं निर्धन लोगों के संबंध में यह स्थिति काफी चिन्ताजनक बनी हुई है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, February 2023
Impact Factor: 7.301

महंगी होती स्वास्थ्य सेवाओं के कारण आम आदमी द्वारा स्वास्थ्य पर किये जाने वाले खर्च में बेतहाशा वृद्धि हुई है जिससे यह वर्तमान समय में गरीबी को बढ़ाने वाला एक प्रमुख कारण है। भारत में अभी भी उच्च शिशु मृत्युदर एवं प्रसव के दौरान मातृ मृत्युदर बरकरार है। यहाँ हर माह लगभग अस्सी हजार महिलाओं की मौत प्रसव के दौरान हो जाती है। भारत विकासशील और विकसित हो रही दुनिया के बीच फंस रहा है जिससे उच्च रक्त चाप, मधुमेह, मलेरिया, बुखार, डेंगू जैसी कई संक्रमित बीमारियाँ फैल रही हैं। भारत देश के ज्यादातर आदिवासी महिलायें एवं बच्चे बहुत अधिक मात्रा में कुपोषण का शिकार हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा के प्रचार–प्रसार करके आयुर्वेद, योग होम्योपैथिक चिकित्सीय पद्धति का विकास करना चाहिये।

(6) बाल विवाहः

भारत के आदिवासी समाज में बाल विवाह होने के कई कारण है, लड़की की शादी को माता–पिता द्वारा अपने ऊपर एक बोझ समझना, शिक्षा का आभाव, रुढ़िवादिता का होना, अंधविश्वास, निम्न आर्थिक स्थिति। बाल विवाह के दुस्परिणाम में घातक शिशु व माता की मृत्युदर में वृद्धि होती है। शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण नहीं होता है और आदिवासी महिलाएँ अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वहन नहीं कर पाते हैं। एच.आई.वी. एड्स जैसे बीमारी होने का खतरा बना रहता है।

बाल विवाह उसे कहते हैं जिस लड़का या लड़की की शादी सरकार द्वारा निर्धारित उम्र में न होकर कम उम्र में हो जाता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 भारत का एक अधिनियम है जो 01 नवम्बर 2006 से लागू हुआ है। इस अधिनियम के अनुसार बाल विवाह वह है जिसमें लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम या लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम हो। ऐसे विवाह को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।

(7) अशिक्षाः

अशिक्षा की खास वजह देश की गरीबी है, देश विकासशील है फिर भी वर्तमान समय में शिक्षा की तरफ जागरुकता आदिवासी महिलायों में नहीं है। लगभग 35% प्रतिशत महिलायें ही जागरुक हैं। ज्यादातर बैजा जनजाति, भारिया, मुण्डा, खैरवार, ऊरांव, अगरिया जनजाति के लोग बहुत कम मात्रा में पढ़ाई कर पाते हैं, इसकी खास वजह यह है कि गरीबी, आर्थिक तंगी एवं सामाजिक कुरुतियाँ प्रमुख कारण है। इस जनजाति के महिलायें अधिकतर गृहस्थ कार्य, मजदूरी का कार्य करती हैं। हालांकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले शिक्षित महिलायें नौकरियाँ भी करती हैं। शिक्षा पर जोर देना, जागरुकता लाना हम सब का काम है।

जनजाति/आदिवासियों एवं समस्त जनसंख्या की साक्षरता दर

वर्ष	आदिवासी/अनुसूचित जनजाति			समस्त जनसंख्या		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
2001	59.17	34.76	47.10	75.26	53.67	64.84
2021	68.50	49.40	59.00	80.90	64.60	73.00

स्त्रोतः– महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालयश भारत

(8) पर्दाप्रथा एवं सतीप्रथाः

चहारदीबारी प्रक्रिया पुरानी परम्परा है, जो भारत देश में प्रचलित है। जब कोई समाज विवाह करके अपने बधु को लाता है तब उसे अपने घर के अन्दर ही रहने की अनुमति दी जाती है, उसे बाहर के परिवेश से परिचय नहीं कराया जाता है। पर्दा एक इस्लामी शब्द है जो अरबी भाषा में फारसी से आया। इसका अर्थ होता है ''ढकना'' या ''घूंघट''। पुरुषों की नजरों से दूर रखने के लिये यह प्रथा अपनाई जाती है। भारत में हिन्दुओं में पर्दा तथा इस्लाम की देन है। 12वीं सदी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। 20वीं सदी के उत्तरार्द्ध में इस प्रथा के विरोध के फलस्वरुप इसमें कमी आई। यह प्रथा स्त्री की मूल चेतना को अवरुद्ध करती है। इसमें स्त्री गुलामों जैसा महसूस करती हैं, संकोच करती हैं। हरियाणा, राजस्थान में आज भी यह प्रथा प्रचलित है। भारत देश के जनजातियों में पर्दाप्रथा ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद रहता है, जिसकी वजह से जनजाति महिलायें अपने हक, अधिकार से वंचित रह जाती हैं। लोगों के इस रुढ़िवादिता परम्परा को रोकना जरुरी है।

(9) रुढ़िवादिता–

मानसिकता के कारण स्त्री चाहे जिस भी वर्ग, समूह, जाति का हो वह जन्म से ही रुढ़िवादिता परम्परा के दवाब में शिकार हो रही है। भारत सरकार के द्वारा आज जक इस परम्परा पर रुकावट नहीं हो सका है। इसमें बलात्कार, ब्लैकमेलिंग,

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, February 2023
Impact Factor: 7.301

ट्रोलिंग आदि शब्द जन्म ले रहा है। आधुनिक दुनिया में लोगों की मानसिकता इतनी भयावह है कि यह एक चिन्ता का विषय है। भारतीय समाज में जनजाति महिलायें इसका शिकार अधिक होती हैं। झारखण्ड, बिहार, म0प्र0, छत्तीसगढ़, आदि राज्यों में इस तरह के नतीजे देखे जाते हैं। इसमें पुरुष लोग स्त्रियों को बहला–फुसलाकर, पैसे की लालच देकर महिलाओं का तस्करी करते है। बलात्कार शब्द का अर्थ यह है कि जब कोई पुरुष किसी महिला को जबरन संबंध बनाता/ अवैध संबंध बनाता है। इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब हर स्त्री अपने हक, अधिकार के प्रति जागरुक हो और सरकार की सहायता हो।

(10) टोटेमः

टोटेम का अर्थ यह होता है कि आदिवासी समाज में कबीला, देवी, देवता, गोत्र, आत्मा, भूतप्रेत। इस समाज में प्राचीन परम्परा से यह पद्धति चली आ रही है। अधिकतर इसमें महिलायें शामिल होती हैं। कहा जाता है कि इस समाज के लोग जंगल में किसी पेंड या पत्थर को देवता के रुप में पूजते हैं और देवता को अपने बस में करके जिस किसी सज्जन को सताना होता है, तब उसे ये महिलायें झोप देती है। इसमें वे लोग मृत शरीर की जो आत्मा भटकती है उसे किसी व्यक्ति के शरीर में डाल देते हैं, जिससे जिस व्यक्ति पर डाला जाता है वह व्यक्ति मूल रुप से बीमार, तबियत खराब और मृत्यु होने की संभावना भी बना रहता है। आदिवासी महिलाओं में ज्यादातर, ऊरांव, बियार, मुण्डा, खैरवार, बैगा जनजाति के लोग ही इस प्रक्रिया/पद्धति को अपनाते हैं। टोटेम सिस्टम में लोग किसी को भी अपने बस में कर लेते हैं।

(11) विधवा प्रवृत्तिः

जब कोई महिला के पति की आकस्मिक मृत्यु हो जाता है तब वह विधवा हो जाती है। इस विधवा महिला को आदिवासी समाज में अवहेलना किया जाता है। समाज में उसे दूर रहने के लिये कहा जाता है। सभी जनजाति में यह सिस्टम लागू नहीं है। कुछ में तो विधवा महिला भी दूसरा पति के साथ जीवन जी सकती है।

(12) आर्थिक असमानतायेंः

भारत के लोगों में आर्थिक असमानतायें भिन्न–भिन्न पाई जाती है। गरीबी, निर्धनता, आर्थिक रुप से कमजोर धन सम्पत्ति से आदि यह सब भारतीय जनजातीय लोगों में पाई जाती है। इन सभी स्थितियों को दूर करने के लिये जनजाति लोग कृषि कार्य, खनन कार्य में मजदूरी, अपने घर से बाहर काम करने के लिये प्रवास भी होते हैं। परिवार का भरण–पोषण आजीविका चलाने के लिये पुरुष एवं महिलायें मेहनती होते हैं। वे चाहते हैं कि उच्च क्वालिटी का जीवन स्तर हो, जच्चा–बच्चा सही ढंग से पढ़ाई–लिखाई कर सके, नौकरी कर सके। इस उद्देश्य से आदिवासी परिवार परिश्रमी, मेहतनती होते हैं।

(13) वेश्यावृत्ति यौन रोगों का पनपना

आदिवासी महिलाओं की यह समस्या गंभीर है। एक तो वे लोग पर्याप्त मात्रा में जागरुक नहीं होते, शिक्षा की कमी की वजह से उन्हें यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। एच.आई.वी. एड्स जैसी बीमारियों के बारे में सभी महिलाओं को पता भी नहीं होता है। कभी–कभी ये महिलायें वेश्यावृत्ति का शिकार हो जाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति कुछ पैसे का लालच देकर उसे किसी बड़े शहरों में ले जाकर बेच भी देते हैं। इस समस्या से निपटने के लिये जनजाति महिलाओं को जागरुक होने की आवश्यकता है।

(14) अस्पृश्यता या छुआछूतः

आदिवासी समाज में रुढ़िवादी परंपरा आज भी जिंदा है। इस समाज के लोगों के द्वारा छुआछूत भी किया जाता है। जब किसी महिला को मासिक धर्म आता है तब परिवार के लोगों के द्वारा खान–पान में परहेज भी किया जाता है। कोई महिला को जब बच्चा पैदा होता है तब उसे अलग–अलग कोठरी में रखा जाता है। खासकर मैने बैगा जनजाति के लोगों को ऐसा करते हुये देखा है। इस समस्या का समाधान जागरुक समाज निर्माण करके किया जा सकता है। प्रत्येक समाज में शिक्षा, तकनीक, आयुर्वेदिक, दवाईयाँ और परिवार नियोजन संबंधी जानकारी देकर एवं प्रचार–प्रसार करके आदिवासी महिलाओं में उच्च स्थिति में लाया जा सकता है।

निष्कर्षः

शोध निष्कर्ष से यह पता चलता है कि भारत में आदिवासी समाज की महिलाओं का स्थिति अभी भी कमजोर कड़ी है। यह कमजोर कड़ी इस समाज की बहुत बड़ी समस्या है। सरकार द्वारा इनकी उत्थान के लिये ठोस कदम उठानी चाहिये।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, February 2023
Impact Factor: 7.301

वर्तमान सरकार विकासशील है। जिस तरह सरकार रेल, रोड़, पंचायत कार्य, बिजली, पानी, प्रदूषण बचाओं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना चलाकर विकास कर रही है। उसी प्रकार महिला पढ़ना–लिखना योजना जो चलाया गया था उसे वर्तमान में शुरु करना चाहिये। सावित्री बाई फुले ने सबसे पहले स्त्रियों को पढ़ने–बढ़ने व अपने अधिकार के प्रति लड़ने के लिये शिक्षा का प्रारंभ किया था। उन्हीं के मार्गदर्शन से ही भारत देश में सभी स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आदिवासी समाज में श्रीमती द्रापदी मुर्मू जो प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति बनी। उनके इस कामयाबी को देखकर यह सीख लेना चाहिये की हर आदिवासी महिला शक्तिशाली है। वह भी अपने हक, अधिकार के लिये इन सामाजिक कुरीतियों से जो जूझ रहा है, उसे प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें लोगों को जागरुक करना बहुत जरुरी है। शिक्षा का व्यापक प्रचार–प्रसार करना, सबसे महत्वपूर्ण होती है। आदिवासी पृथ्वी, जल, जंगल के रखवाले होते हैं। प्रकृति पूजक होते हुये उन्हें प्रत्येक कामों नौकरी, समाज में प्रगतिशील होना चाहिये। भारतीय समाज अपनी परम्परा के अन्तर्गत विकास की डगर पर गतिशील/शक्तिशाली बना रहे। अंधविश्वास जैसे कुरीतियों को हटाने का व्यापक प्रयास करना चाहिये।

संदर्भ सूची

[1]. राम आहूजाः भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, 2002
[2]. उदय सिंह राजपूतः आदिवासी विकास गैरसरकारी संगठन, रावत पब्लिकेशन्स, पृ. 1
[3]. प्रो. गुप्ता, शर्माः सामाजिक मानवशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, पृ. 190, 192
[4]. भारत की जनगणना वर्ष 2011
[5]. मिढ़ ताला रानी (2009) Problems of Tribal Education in India, नई दिल्लीः कनिष्ठ प्रकाशन
[6]. "wikipidea:- India- Veilling and the seclusion of women" 2021-08-02